पत्र सूचना शाखा

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0

राज्यपाल ने पूर्व विधायक के प्रकरण का चुनाव आयोग के अभिमतानुसार निस्तारण किया

नूतन ठाकुर ने वकार अहमद शाह के विरूद्ध की थी शिकायत

विधान सभा अध्यक्ष को पत्र भेजकर कहा कि वकार अहमद शाह की पेंशन पर विचार करें

लखनऊः 15 जून, 2017

उत्तर प्रदेश के राज्यपाल श्री राम नाईक ने 'भारत का संविधान' के अनुच्छेद 192(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर भारत निर्वाचन आयोग के अभिमतानुसार 16वीं विधान सभा के विधायक श्री वकार अहमद शाह के विरूद्ध डाॅ0 नूतन ठाकुर के शिकायती प्रत्यावेदन का निस्तारण करते हुये शिकायती प्रत्यावेदन को निष्फल घोषित किया।

राज्यपाल ने विधान सभा अध्यक्ष को प्रेषित एक अन्य पत्र में कहा है कि श्री वकार अहमद शाह वर्तमान विधान सभा के सदस्य नहीं हैं अतएव समुचित प्रतीत होता है कि श्री शाह को नियमानुसार अनुमन्य पेंशन एवं अन्य देयों का भुगतान यथाशीघ्र करने पर विचार किया जाये।

उल्लेखनीय है कि राज्यपाल को डाॅ0 नूतन ठाकुर ने 16वीं विधान सभा के विधायक श्री वकार अहमद शाह के विरूद्ध 19 मई, 2015 को शिकायती प्रत्यावेदन प्रेषित किया था कि श्री वकार अहमद शाह 2 वर्ष से मूच्र्छा (कोमा) की स्थिति में हैं और मानसिक रूप से अस्वस्थ हो चुके हैं जिस कारण उक्त अवधि में विधान सभा की बैठकों में सम्मिलित भी नहीं हुये हैं। डाॅ0 नूतन ठाकुर ने इस आधार पर राज्यपाल से श्री वकार अहमद शाह को विधान सभा की सदस्यता से निरर्हित करने का अनुरोध किया था। राज्यपाल ने शिकायती पत्र को संविधान एवं उच्चतम न्यायालय के द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग के अभिमत हेतु 23 नवम्बर, 2015 को प्रेषित किया था जिसका उत्तर राज्यपाल को 1 वर्ष 6 माह बाद 23 मई, 2017 को प्राप्त हुआ है।

भारत निर्वाचन आयोग ने अपने 15 मई, 2017 दिनांकित पत्र द्वारा 'भारत का संविधान' के अनुच्छेद 192(2) के अन्तर्गत अभिमत प्रदान करते हुये कहा है कि श्री वकार अहमद शाह के मानसिक अस्वस्थ होने के संबंध में आयोग के समक्ष किसी सक्षम स्तर का प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है एवं मार्च, 2017 में 17वीं विधान सभा के चुनाव सम्पन्न हो चुके हैं और श्री वकार अहमद शाह पुनः विधान सभा के सदस्य निर्वाचित नहीं हुये हैं। ऐसे में बहराइच विधान सभा क्षेत्र से 2012 में निर्वाचित 16वीं विधान सभा के सदस्य श्री वकार अहमद शाह के विरूद्ध डाॅ0 नूतन ठाकुर का शिकायती प्रत्यावेदन निष्फल हो गया है।

राज्यपाल ने अपने आदेश की प्रति भारत निर्वाचन आयोग, विधान सभा अध्यक्ष, मुख्यमंत्री, गजट में प्रकाशन हेतु मुख्य सचिव, श्री वकार अहमद शाह के परिजनों को प्रमुख सचिव विधान सभा द्वारा तथा डाॅ0 नूतन ठाकुर को प्रेषित की है।

अंजुम/ललित/राजभवन (227/18)